(6A) Dewa - Barabanki

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0,
बाराबंकी

पत्रांक– 171/1काम   दिनाँक– 16/01/18

सेवा में,

M/s Reliance Jio Infocom Ltd.
(Formerly, Infotel Boradband Service Ltd.)
Registered office at 3rd floor, maker chambers IV, 222
Narima Point, Mumbai- 400021

विषय :–   रोड़ कटिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–2394/1काम दिनाँक 25.10.2017 के क्रम में आप द्वारा जमा की गयी बैंक गारन्टी ICICI Bank Guarantee No. 0541BGR0211118 Date 20-11-2017 धनराशि रू0 128359.00 मात्र के क्रम में केबिल डालने हेतु रोड़ कटिंग की अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दी जा रही है।

क्र0सं0	मार्ग का नाम	मात्रा
1	देवा से बाराबंकी 13 किमी0 बाराबंकी से बड़ेल 3 किमी0 (ओ0डी0आर0)	195 वर्ग मीटर

नोटः–

1– कृपया सबन्धित अधिकारी का नाम/पद व मोबाइल/दूरभाष नं0 भी अवगत करायें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त सम्पर्क किया जा सकें

2– केबिल/पाईप लाइन डालने से पहले उसके नीचे सीमेन्ट कंक्रीट या हार्ड स्ट्रेटा डाला जाये ताकि पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना न हो तथा भविष्य में मरम्मत हेतु रोड़ कटिंग से बचा जा सके। पटरी कटिंग के समय उक्त कार्य की ड्राइंग एवं सेक्शन तथा गहराई सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0, बाराबंकी से अनुमोदित कराने के प्रश्चात ही कार्य प्रारम्भ करने दिया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को सूचित करना होगा।

3– पटरी कटिंग करते समय यह ध्यान रखा जाये कि कोई दुर्घटना न हो कोइ दुर्घटना होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी कटिंग एजेन्सी की होगी। पटरी कटिंग के द्वारा पूर्व में पड़ चुकी सर्विसेज जैसे–सीवर, पानी नाला व विद्युत लाईनों आदि की सुरक्षा एवं क्षतिग्रस्त होने का उत्तरदायित्व कटिंग संस्था का होगा। किसी भी संभावित दुर्घटना का पूर्ण हर्जा–खर्चा कटिंग संस्था को ही वहन करना होगा।

4– कटिंग एरिया अधिक होने पर उसकी अनुमति पुनः लेने के उपरान्त ही कार्य किया जाये।

5– यह अनुमति केवल लो0नि0वि0 के मार्गो के लिये पटरी कटिंग से सम्बन्धित है यदि इसके अतिरिक्त अन्य विभाग/निगम आदि की अनुमति की आवश्यकता हो तो उसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग से स्वयं लेनी होगी।

6– जब कभी विभाग को मार्गो के चौड़ीकरण एवं अन्य कारणों से उक्त स्थल की आवश्यकता होगी तो केबिल/पाइप लाइन आदि डालने वाले/कम्पनी फर्म को स्वयं केबिल/पाईप लाइन आदि अपने खर्च पर हटाकर पूर्व स्थिति में विभाग को उक्त स्थल उपलब्ध कराना होगा।

7– पेन्टेड सतह से 0–3 मी0 बाद एवं सतह से 1–6 मी0 गहराई में ही केबल डालने का कार्य किया जाये।

16/01/18
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0,
बाराबंकी

पत्रांक–   दिनाँक

प्रतिलिपिः–

1– सहायक अभियन्ता (द्वितीय), निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0, बाराबंकी को सूचनार्थ प्रेषित।

2– कैम्प।

विनय जोशी (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0,
बाराबंकी